

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

क्रमांक:-प.1ग()का/एसएमई/डीएलबी/19/1762

दिनांक 7/2/19

-:आदेश:-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	श्री अरुण कुमार	स. अग्नि. अधिकारी	राजसमंद	भरतपुर
2	श्री रणजीत राम खुडीया	कनिष्ठ लेखाकार	एपीओ निदेशालय	पीलीबंगा
3	श्री विनोद राणा	कनिष्ठ सहायक	रूपवास	नदबई
4	श्री शांतिलाल कुमावत	वाचनालय इंचार्ज	परबतसर	किशनगढ(अजमेर)
5	श्री चौथमल मीणा	फायरमैन	बांरा	इटावा
6	विनीता	फायरमैन	डीग	हिण्डोनसिटी
7	श्री अनूप सिंह	फायरमैन	तिजारा	हिण्डोनसिटी
8	श्री दावेन्द्र सिंह	फायरमैन	कांमा	नदबई
9	श्री आशीष कुमार गुर्जर	फायरमैन	धोलपुर	महुवा
10	श्रीमति नीतूदेवी	च0श्रे0कर्मचारी	नसीराबाद	गुलाबपुरा
11	रोशनी पत्नी कुम्भाराम	सफाई कर्मचारी	नोहर	बीकानेर
12	रेखा पत्नी आनन्द	सफाई कर्मचारी	विजयनगर	ब्यावर
13	बंटी पुत्री बंशीलाल	सफाई कर्मचारी	विजयनगर	ब्यावर
14	दामिनी आनंद/आनंद	सफाई कर्मचारी	विजयनगर	ब्यावर
15	श्री कुसाल चावरियां	सफाई कर्मचारी	लाडनू	बीकानेर
16	श्री जयश्री नागोरा/श्री निवास	सफाई कर्मचारी	पुष्कर	अजमेर
17	श्री धर्मेन्द्र/श्री किशन लाल	सफाई कर्मचारी	भिवाडी	अजमेर

विभागीय आदेश क्रमांक प.1ग()का/एस.एम.ई/डीएलबी/19/1192-1228 दिनांक 30.01.2019 के क्रम संख्या 2 पर अंकित श्री महिपाल सिंह, सफाई निरीक्षक द्वितीय का नगर पालिका भीनमाल से शिवगत एवं क्रम संख्या 3 पर अंकित श्री प्रमोद, कनिष्ठ लिपिक का नगर पालिका वैर से डीग किया गया स्थानान्तरण तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है। यह अपनी उपस्थिति यथावत संबंधित निकाय में देवें।

अतः उक्त कर्मचारी को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर शीघ्र विभाग को अद्यगत करावें।

नोट:-

01. स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
02. स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावें।
03. यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावें।
04. यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें।
05. वर्ष 2018 में लाटरी के द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों का उक्त सूची में नाम हो तो स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.1(ग)()का/एसएमई/डीएलबी/19/1763-1812

दिनांक : 7/2/19

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग.....।
5. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशोषी अधिकारी/नगर निगम/परिषद/
पालिका,।
6. संबंधित कर्मचारी श्री।
7. सुरक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (प्रशासन)
7/2/19